बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0 सं0:- 344549 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 22/12/17

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-11/15

श्री विकास कुमार (अनुक्रमांक-293724) का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर चयन होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-167414 दिनांक-25.10.2013 द्वारा वेतनमान रू. 9300-34800(पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू0 4200/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में नियुक्त करते हुए नालन्दा जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया था ।

प्रशिक्षणोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-200188 दिनांक-08.09.2014 एवं अधिसूचना संख्या-230237 दिनांक 05.05.15 के द्वारा श्री विकास कुमार को प्रखंड तरारी, जिला-भोजपुर में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया, जहां इन्हें कार्यहित में अपने ही वेतनमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद का भी प्रभार दिया गया था।

श्री कुमार प्रखंड-तरारी में पदस्थापन अवधि में दिनांक 10.06.16 से बगैर अनुमति के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें । श्री कुमार द्वारा दिनांक 10.06.2016 से 13.09.2017 तक अवकाश के बाद दिनांक 14.09.2017 को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में योगदान दिया गया । इनके द्वारा दिये गये अवकाश संबंधी आवेदन को समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 333034 दिनांक 12.10.2017 द्वारा इनके अवकाश आवेदन को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 14.09.2017 को दिये गये योगदान को अस्वीकृत किया गया ।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा सहायक प्राचार्य (अर्थशास्त्र) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा के आलोक में निबंधक, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय के अधिसूचना ज्ञापांक SC /2183-2273/17 दिनांक 05.07.17 द्वारा श्री विकास कुमार की नियुक्ति सहायक प्राचार्य (अर्थशास्त्र) के पद पर C.M College, Darbhanga में की गयी है । उक्त नियुक्ति आदेश के आलोक में श्री विकास कुमार (अनुक्रमांक-293724), ग्रामीण विकास पदाधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.17 के पूर्वाहन से नये सेवा में योगदान करने हेतु वर्त्तमान पद से दिनांक 05.10.17 के अपराहन से त्याग पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया ।

अत: श्री विकास कुमार से प्राप्त आवेदन के आलोक में इनका दिनांक 05.10.17 के अपराहन से ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से त्याग पत्र इस शर्त्त के साथ स्वीकृत

किया जाता है कि इनके अनाधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित अवधि का वेतनादि का भुगतान नहीं होगा और न ही इनका कोई दावा मान्य होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 344549 दिनांकः- 22/12/17
ग्रा0वि0-3/स्था0-02-11/15

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 344549 पटना, दिनांकः- 22/12/17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, भोजपुर/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 344549 पटना, दिनांकः- 22/12/17

प्रतिलिपिः- श्री विकास कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी (गृह पता- द्वारा- श्री शशि भूषण शर्मा, रेलवे क्वार्टर नं0-219 सीडी, न्यू कॉलोनी, खगौल, पटना 801105) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत अधोहस्ताक्षरी को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- 344549 पटना, दिनांकः- 22/12/17

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव